प्राक्कथन

मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है; प्रतिवेदन का अध्याय IV जो संचार मंत्रालय तथा इलेक्ट्रानिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बन्धित है, उसे 1984 में यथा संशोधित, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 (ए) के अन्तर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन संचार मंत्रालय तथा इलेक्ट्रानिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा इन मंत्रालयों के अन्तर्गत विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों को शामिल करता है। इस प्रतिवेदन में उल्लिखित उदाहरण वे हैं, जो कि 2016-17 की अवधि में नमूना लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये तथा वे भी हैं जो कि पूर्व के वर्षों में संज्ञान में आये, किन्तु पूर्व के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किये जा सके।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किये गये लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गयी है।